

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

-: अधिसूचना :-

रॉची, दिनांक :- 07/06/18

अधिसूचना सं.-01/स्था.(एम.ए.सी.पी.)-18-03/2016.....1568...../कनीय अभियंता (असैनिक) के पद पर वर्ष 1979 में नियुक्त डिग्रीधारी यॉत्रिक अभियंता, जिन्हें वर्ष 1982 में सहायक अभियंता (यॉ.) के कन्वर्टेड पदों पर नियुक्त किया गया था, को तृतीय एम.ए.सी.पी. की स्वीकृति प्रदान करने के निमित्त मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के उपरांत जल संसाधन विभाग, झारखण्ड के संकल्प-सह-पठित ज्ञापांक-02/स्था.(मुक.)-01-08/2014-5227 दिनांक 17.11.2016 एवं योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड के संकल्प संख्या-06/एस.-06/प्रो.-03/2009-2981/वि. दिनांक 01.09.2009 में निहित प्रावधानों के आलोक में दिनांक 10.05.2018 को सम्पन्न विभागीय स्क्रीनिंग समिति के अनुशंसा पर निम्न अभियंताओं को उनकी सेवा की गणना वर्ष 1979 से करते हुए उनके नाम के सामने स्तम्भ-05 में उल्लेखित तिथि एवं वेतनमान में तृतीय एम.ए.सी.पी. का लाभ प्रदान किया जाता है।

जिन अभियंताओं को पूर्व में प्रथम एवं द्वितीय ए.सी.पी. का लाभ प्रदान नहीं किया गया है उन्हें सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना का लाभ प्रदान करने संबंधी वित्त विभाग, झारखण्ड द्वारा निर्गत संकल्प संख्या- 03/एस.-06(प्रो.)-02/2002-5207/वि., रॉची दिनांक 14.08.2002 में निहित प्रावधानों के आलोक में दिनांक 10.05.2018 को सम्पन्न विभागीय स्क्रीनिंग समिति के अनुशंसा पर निम्न तालिका के क्रमांक-03 तथा 04 पर अंकित अभियंताओं को उनकी सेवा की गणना वर्ष 1979 से करते हुए प्रथम योगदान से लगातार 12/24 वर्षों की नियमित सेवा पूरी कर लिये जाने के फलस्वरूप स्तम्भ-03 एवं 04 में अंकित तिथि एवं वेतनमान में क्रमशः प्रथम एवं द्वितीय सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना का लाभ प्रदान किया जाता है।

क्र०	नाम/आई० डी०/गृह जिला/जन्मतिथि/सेवा में प्रथम योगदान की तिथि	सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना		संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना	अभ्युक्ति
		प्रथम ए.सी.पी. योजना के तहत लाभ प्रदान करने हेतु स्वीकृति की तिथि (वेतनमान सहित)	द्वितीय ए.सी.पी. योजना के तहत लाभ प्रदान करने हेतु स्वीकृति की तिथि (वेतनमान सहित)	तृतीय एम.ए.सी.पी. योजना के तहत लाभ प्रदान करने हेतु स्वीकृति की तिथि (वेतनमान सहित)	
1	2	3	4	5	6
1	स्व. देवकान्त चौधरी एम 400/मधुबनी/02.07.52 / 03.02.79	-	-	03.02.09 (वेतनमान 37400-67000 ग्रेड पे0 8900)	
2	श्री सज्जन कुमार बजाज एम 362/भागलपुर/01.01.50 /07.02.79	-	-	07.02.09 (वेतनमान 37400-67000 ग्रेड पे 8900)	

वकील
7/06/18

1	2	3	4	5	6
3	श्री विनोद कुमार/ एम 656/बोकारो/20.09.1955/ 07.02.79	04.03.01 (वेतनमान 10000-15200) (विभागीय अधिसूचना सं.-1290 दि. 24.03. 06 द्वारा दि. 9.8.99 को स्वीकृत प्रथम ए.सी.पी. की तिथि को संशोधित करते हुए)	30.08.04 (वेतनमान 14300-18300) (विभागीय अधिसूचना सं.-1290 दि. 24.03. 06 द्वारा स्वीकृत दि. 7.02.03 को द्वितीय ए.सी.पी. की देय तिथि को संशोधित करते हुए)	-	
4	श्री जय प्रकाश लाल/ एम 620/भभुआ/13.03.1956 /05.02.79	09.08.04 (वेतनमान 10000-15200)	05.02.08 (वेतनमान 14300-18300) (विभागीय पत्रांक-1290 दि. 24.03.06 द्वारा दिनांक 05.02.03 से प्रदत्त द्वितीय ए.सी.पी. के लाभ को संशोधित करते हुए)	05.02.14 (वेतनमान 37400-67000 ग्रेड पे0 8900)	

यह वित्तीय उन्नयन निम्नांकित शर्तों के अधीन देय है :-

1. सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन योजना दिनांक 09.08.99 से प्रभावी है किन्तु इसके अंतर्गत वित्तीय लाभ दिनांक 15.11.2000 से देय होगा।
2. संशोधित सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन योजना दिनांक 01.09.2008 से प्रभावी है।
3. संशोधित सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन योजना एवं सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन योजना व्यक्तिगत होगा जिसका पारस्परिक वरीयता से कोई संबंध नहीं होगा।
4. सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन योजना एवं संशोधित सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन योजना हेतु संबंधित कर्मियों के वेतन का निर्धारण क्रमशः वित्त विभाग के संकल्प सं.-5207 दिनांक 14.08.2002 एवं 2981 दिनांक 01.09.2009 में निहित प्रावधान के आलोक में किया जायेगा।
5. जिन सेवानिवृत्त पदाधिकारियों द्वारा योजना-सह- वित्त विभाग, झारखण्ड राँची के पत्रांक-1365 दिनांक 07.04.2017 के आलोक में घोषणा-पत्र समर्पित नहीं किया गया है, उन्हें भुगतान प्राप्ति के पूर्व सक्षम प्राधिकार को घोषणा-पत्र उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा।
6. संबंधित किसी भी पदाधिकारी के संदर्भ में भविष्य में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर उन्हें प्रदत्त ए.सी.पी./एम.ए.सी.पी. से संबंधित आदेश को रद्द/संशोधित कर दिया जायेगा। किसी कारणवश देय वेतन से अधिक भुगतान का मामला प्रकाश में आने पर अतिरिक्त भुगतान की गयी राशि की एक मुश्त वसूली कर ली जायेगी और इसके विरुद्ध किसी प्रकार का दावा सरकार या न्यायालय में विचारणीय नहीं होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(रमेश/कुमार दूबे)
सरकार के विशेष सचिव
नाम

ज्ञापांक :- 1568

राँची, दिनांक :- 07/06/18

प्रतिलिपि:- अधीक्षक सचिवालय, मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को अधिसूचना की तीन मूल प्रतियों के साथ गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। गजट में प्रकाशनोपरांत प्रकाशित गजट की 200 (दो सौ) प्रतियाँ विभाग को अभिलेख हेतु भेजने की कृपा की जाय।

(रमेश कुमार दूबे)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक :- 1568

राँची, दिनांक :- 07/06/18

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड राँची/ उप सचिव, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अपने अभिलेख से योगदान की तिथि एवं सेवा में टूट संबंधी आवश्यक जाँच कर वेतन पुर्जा निर्गत किया जाय।

(रमेश कुमार दूबे)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक :- 1568

राँची, दिनांक :- 07/06/18

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड राँची/ सचिव, नगर विकास विभाग, झारखण्ड राँची/ सचिव, मानव संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड राँची/ सचिव, मंत्रिमंडल समन्वय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड राँची/ प्रबंध निदेशक, झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन लिमिटेड, राँची/ अभियंता प्रमुख-01 एवं 02, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ सभी संयुक्त सचिव/ सभी उप सचिव/ सभी अवर सचिव(प्रबंधन कोषांग सहित)/ सभी संबंधित मुख्य अभियंता/ सभी संबंधित अधीक्षण अभियंता/ सभी संबंधित कार्यपालक अभियंता/ सभी संबंधित अभियंता, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड/ प्रशाखा पदाधिकारी-01, 02/ वेब इन्फारमेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(रमेश कुमार दूबे)

सरकार के विशेष सचिव